

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश, भोपाल

कमांक 3096 / विधि / एम-87(iii) / नग्रानि / 2020 भोपाल, दिनांक 18/08/2020

:: आदेश ::

संचालनालय के आदेश कमांक-1874(A & B)/एम-87(III)/विधि/नग्रानि/2018 दिनांक- 15.05.2020 द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 75 (2) द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के लिये अनुसूची-1 के नोट-2 में उल्लेखित क्षेत्रफल अनुरूप अभिन्यास के अनुमोदन हेतु रीवा जिला में अनुसूची-2 में दर्शाये अनुसार, रीवा एवं शहडोल संभाग में भूखण्डीय विकास हेतु 3 हेक्टेयर के अभिन्यास तथा समूह आवास/अपार्टमेंट हेतु 2 हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक भूमि के अभिन्यासों के लिए आगामी आदेश तक रीवा संभाग हेतु संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, सागर तथा शहडोल संभाग के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जबलपुर से अनुमोदन प्राप्त कर तत्पश्चात ही प्रभारी अधिकारी नगर तथा ग्राम निवेश रीवा/सतना/सिंगरौली/अनूपपुर/शहडोल द्वारा विकास अनुज्ञा जारी की जा सकेगी ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18/08/2020

पृ. कमांक 3095 / विधि / एम-87(iii) / नग्रानि / 2020
प्रतिलिपि :-

1. अपर संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला रीवा/सागर/जबलपुर की ओर पालनार्थ ।
3. उप संचालक/सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला सतना/सिंगरौली/अनूपपुर/शहडोल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. प्रभारी अधिकारी, आई. टी. शाखा, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल मध्य प्रदेश की ओर संबंधित कार्यालय को ई-मेल व वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु ।

आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश, भोपाल